

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 162/2022

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2022/205

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कोगटा फाईनेंसियल (इण्डिया) लिमिटेड पंजीयकृत कार्यालय, ए कोगटा हाउस, आजाद मौहल्ला, बिजयनगर-305624, राजस्थान एवं निगमित कार्यालय एस-1 गोपालबाडी अजमेर पुलिया के पास में मैट्रो पिल्लर नं. 143 के सामने जयपुर राजस्थान-302001 एवं जरिये प्राधिकृत अधिकारी शक्ति सिंह शेखावत		1. पूरण सिंह पुत्र श्रवण सिंह पता-80, राजपूतों की पोल, वार्ड नं. 6, शेखपुरा सूदवाड डेगाना नागौर राजस्थान 341031 दूसरा पता- नगनेच्छि फूड प्रोडेक्ट (प्रोपराईटर) श्री पूरण सिंह वार्ड नं.6 शेखपुरा सूदवाड डेगाना नागौर राजस्थान 341031 तीसरा पता-प्लॉट नं. 02, करनी नगर, डी एण्ड सी गोकुलपुरा फाटक के पास, खिरणी फाटक, झोटवाडा जयपुर राजस्थान 30201
		2. श्रीमति चंदा कंवर पत्नि पूरण सिंह पता-राजपूतों की पोल वार्ड नं.6 शेखपुरा सूदवाड डेगाना नागौर राजस्थान 302012 दूसरा पता-प्लॉट नं. 02, करनी नगर, डी एण्ड सी गोकुलपुरा फाटक के पास, खिरणी फाटक, झोटवाडा जयपुर राजस्थान 302012
		3. रणवीर सिंह पुत्र श्रवण सिंह पता-राजपूतों की पोल वार्ड नं.6 शेखपुरा सूदवाड डेगाना नागौर राजस्थान 341031
		4. श्रवण सिंह पुत्र फतेह सिंह पता-राजपूतों की पोल वार्ड नं.6 शेखपुरा सूदवाड डेगाना नागौर राजस्थान 341031
		5. श्रीमति उगम कंवर पत्नि श्रवण सिंह पता-राजपूतों की पोल वार्ड नं.6 शेखपुरा सूदवाड डेगाना नागौर राजस्थान 341031

आदेश

दिनांक: 26-05-2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रूपये 22,00,000/- (अक्षरे बाईस लाख रूपये मात्र) ऋण मुद्रिणा दिनांक 03.02.2020 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति - श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह की सम्पत्ति जो कि पट्टा नं. 43 ग्राम शेखपुरा ग्राम पंचायत सूदवाड, पंचायत समिति रियांबडी जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 4070 वर्ग फुट है। जिसकी चारो दिशाएँ- उत्तर में-अमर राम चौकीदार का मकान, दक्षिण में-आम रास्ता व निकास, पूर्व में-दुर्जन सिंह का बाडा, पश्चिम में-मनोहर सिंह का मकान जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 05.02.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 24,33,277/- (अक्षरे चौबीस लाख तेतीस हजार दो सौ सतहत्तर रूपये मात्र) दिनांक 17.02.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 17.02.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 24,33,277/- (अक्षरे चौबीस लाख तेतीस हजार दो सौ सतहत्तर रूपये मात्र) दिनांक 17.02.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह की सम्पत्ति जो कि पट्टा नं. 43 ग्राम शेखपुरा ग्राम पंचायत सूदवाड, पंचायत समिति रियांबडी जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 4070 वर्ग फुट है। जिसकी चारो दिशाएँ- उत्तर में-अमर राम चौकीदार का मकान, दक्षिण में-आम रास्ता व निकास, पूर्व में-दुर्जन सिंह का बाडा, पश्चिम में-मनोहर सिंह का मकान जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 22,00,000/- (अक्षरे बाईस लाख रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 03.02.2020 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट



जिल्म मजिस्ट्रेट
नागौर

प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति - श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह की सम्पत्ति जो कि पट्टा नं. 43 ग्राम शेखपुरा ग्राम पंचायत सूदवाड, पंचायत समिति रियांबडी जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका क्षेत्रफल 4070 वर्ग फुट है। जिसकी चारों दिशाएँ- उत्तर में-अमर राम चौकीदार का मकान, दक्षिण में-आम रास्ता व निकास, पूर्व में-दुर्जन सिंह का बाडा, पश्चिम में-मनोहर सिंह का मकान जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर